डॉ. निशा कुमारी बनाम पीटी बी.डी. शर्मा, स्वास्थ्य विज्ञान विश्विद्यालय, रोहतक अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से और अन्य (न्यायमूर्ति राजबीर सहरावत) (पृष्ठ 1)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2023 (1)

न्यायमूर्ति राजबीर सेहरावत के समक्ष

याचिकाकर्त्ता - डॉ. निशा कुमारी

बनाम

प्रतिवादी - पी टी बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक अपने

रजिस्ट्रार और अन्य के माध्यम से

2022 का सीडब्ल्यूपी नंबर 28949

15 दिसंबर, 2022

भारत का संविधान, अनुच्छेद 226, 227, पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008, अनुच्छेद 12, 13 - विश्वविद्यालय के कुलपति के आदेश को चुनौती देने के लिए दायर याचिका में बाल रोग विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को हटाने के आदेश को चुनौती दी गई है - याचिकाकर्ता को किसी भी प्राधिकरण द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में पारित आदेश पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है -

याचिकाकर्ता इस तथ्य से भली-भांति वाकिफ़ है कि वह किसी वैधानिक प्राधिकारी के आदेश को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने योग्य भी नहीं है - विश्वविद्यालय के एक प्रमुख के पास सभी विशेष और अपशिष्ट शक्तियां होती हैं, जिनमें विश्वविद्यालय की कार्यवाही को रद्द करने की सकारात्मक शक्ति भी शामिल होती है जो अधिनियम के अनुरूप नहीं होती । याचिका पूरी तरह से तुच्छ, निराधार, प्रेरित और बिना अधिकार के दायर की गई पाई गई । लागत सहित इसे खारिज कर दिया गया ।

यह माना गया कि याचिकाकर्ता को वर्तमान याचिका में शामिल मुद्दे को उठाने का कोई अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता प्रतिवादी नंबर 4 के खिलाफ अनुशासनात्मक मामले के

मामले में एक अजनबी है। उसे किसी भी प्राधिकरण द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में पारित किसी भी आदेश पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता इस तथ्य से अच्छी तरह से अवगत है कि उसके पास अधिकार क्षेत्र की कमी है, इसलिए,

उसने वर्तमान रिट याचिका को छिपाने की कोशिश की है क्योंकि क्वा वारंटो की प्रकृति में रिट की मांग करने वाली याचिका एक वैधानिक प्राधिकरण के आदेश को रद्द करने की मांग के लिए सुनवाई योग्य भी नहीं है। इसलिए, याचिकाकर्ता ने अदालत पर चाल चलने की कोशिश की है ताकि इस मुद्दे को अप्रासंगिक बनाने का प्रयास किया जा सके। इसलिए, वर्तमान याचिका को खारिज कर दिया जाना तय है क्योंकि याचिकाकर्त्ता भी वर्तमान याचिका दायर करता है।

(अनुच्छेद 7)

न्यायमूर्ति राजबीर सहरावत

(1) याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत यह याचिका दायर की है, जिसमें यथास्थिति वारंट की प्रकृति में एक उचित रिट जारी करने के लिए उत्तरदाताओं को 24.01.2021 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी -29) के तहत कारण बताने के लिए ; कुछ अन्य प्रार्थनाओं के साथ ; उक्त आदेश को रद्द करने के लिए कहा गया है।

(2) प्रस्ताव की सूचना।

(3) श्री संजीव कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता प्रतिवादी नंबर 1-विश्वविद्यालय की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं।

(4) जैसा कि याचिका में कहा गया है, तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी-विश्वविद्यालय में पढ़ रहे एक स्नातकोत्तर छात्र/डॉक्टर द्वारा आत्महत्या किए जाने

का मुद्दा उठाया था। याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत के अनुसरण में आईपीसी की धारा 306 के तहत पीजीआईएमएस रोहतक, ज़िला रोहतक पुलिस स्टेशन में दिनांक 14.06.2019 को एक एफआईआर नंबर 207 दर्ज की गई, जो प्रोफेसर और विभाग या बाल रोग विभाग के प्रमुख थे ; जहां मृतक छात्र/डॉक्टर संबंधित समय पर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। उक्त एफआईआर में पुलिस ने निरस्तीकरण रिपोर्ट दायर की है। तथापि, उक्त निरस्तीकरण रिपोर्ट को संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। इसके अलावा, प्रतिवादी-विश्वविद्यालय ने प्रतिवादी नंबर 4 के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी शुरु की थी। कथित दुराचार की जांच करने के लिए,

आरोप पत्र जारी किया गया था और यहां तक कि विश्वविद्यालय द्वारा जांच अधिकारी भी नियुक्त किया गया था; उत्पीड़न का आरोप लगाना, झूठे आरोप लगाना, बिना सबूत का मामला होना, कुछ निहित स्वार्थों द्वारा मिलीभगत का मामला है, साथ ही उनके खिलाफ जारी आरोप-पत्र की मध्याह्न-स्थिरता भी है। प्रतिवादी संख्या 4 के उस अभ्यावेदन को स्वीकार करते हुए, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा दिनांक 24.01.2021 का आदेश पारित किया गया है; इस प्रकार प्रतिवादी नंबर 4 के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को वापस लेने का आदेश दिया गया। यह उक्त आदेश को चुनौती दे रहा है कि वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता द्वारा की गई है ।

(5) मामले पर बहस करते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि कुलपति विश्वविद्यालय के अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु आदेश पारित करने के लिए अधिकृत नहीं है। इसलिए, प्रतिवादी नंबर 4 के खिलाफ आरोप-पत्र को हटाने का आदेश पारित करना चांसलर की शक्तियों से परे था। आरोप-पत्र जारी करने को विश्वविद्यालय के अधिनियम, संविधि या विनियमन

के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कहा जा सकता है। हालांकि, चूंकि अनुशासनात्मक कार्यवाही विश्वविद्यालय और उसके मध्य का विषय था । कर्मचारी, इसलिए, याचिकाकर्ता के वकील को किसी अन्य कर्मचारी के खिलाफ आरोप-पत्र पर कोई विवाद उठाने; विश्वविद्यालय अधिनियम और संविधियों के तहत; उसके अधिकार के बारे में प्रावधानों को इंगित करने के लिए कहा गया था । हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने इस बात पर विवाद नहीं किया है कि विश्वविद्यालय के अधिनियम और प्रतिमा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो याचिकाकर्ता की तरह विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी को प्रतिवादी नंबर 4 की तरह किसी अन्य कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का कोई अधिकार देता हो।

(6) दूसरी ओर, प्रतिवादी नंबर -1 विश्वविद्यालय के वकील ने प्रस्तुत किया है कि जो भी हो; वर्तमान मामले में मुद्दे में याचिकाकर्ता का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है । वर्तमान याचिका बिना किसी कानूनी अधिकार के दायर की गई है। वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2008 की धारा 13 उप-धारा 16 (संक्षेप में विश्वविद्यालय अधिनियम के रूप में संदर्भित)

में निहित प्रावधान विशेष रूप से एक कर्मचारी को अधिकार देते हैं, जिसके खिलाफ विश्वविद्यालय द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है और इस तरह के अभ्यावेदन पर कुलपति द्वारा लिया गया निर्णय विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा अंतिम और बाध्यकारी होना घोषित किया गया है। इसलिए, चांसलर द्वारा पारित आदेश अंतिम है। विश्वविद्यालय कुलाधिपति द्वारा पारित उक्त आदेश को चुनौती भी नहीं दे रहा है। विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 13 (13) और (14) के तहत विश्वविद्यालय और सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को कुलपति के ऐसे फैसले पर रोक लगा दी गई है; विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 13 (15) के अनुसार, इसलिए चांसलर के पास आक्षेपित आदेश के अनुसार ; कोई अवैधता या अधिकार की कमी नहीं है। यह याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

(7) पक्षों के वकीलों को सुनने और केस फाइल का अवलोकन करने के बाद यह अदालत पाती है कि याचिकाकर्ता के पास वर्तमान याचिका में शामिल मुद्दे को उठाने का कोई अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता प्रतिवादी नंबर 4 के खिलाफ अनुशासनात्मक विषय के मामले में अनभिज्ञ है। उसे किसी भी प्राधिकरण द्वारा

प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में पारित किसी भी आदेश पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता इस तथ्य से भली-भांति परिचित है कि उसके पास अधिकार क्षेत्र की कमी है, इसलिए, उसने वर्तमान रिट याचिका को छिपाने की कोशिश की है क्योंकि क्वा वारंटो की प्रकृति में रिट की मांग करने वाली याचिका एक वैधानिक प्राधिकरण के आदेश को रद्द करने की मांग के लिए सुनवाई योग्य भी नहीं है । इसलिए, याचिकाकर्ता ने अदालत पर चाल खेलने की कोशिश की है ताकि इस मुद्दे को अप्रासंगिक बनाने का प्रयास किया जा सके। इसलिए, प्रस्तुत याचिका का होना तय है । याचिकाकर्ता ने भी प्रस्तुत याचिका दायर की है।

(8) इसके अलावा, विश्वविद्यालय और प्रतिवादी संख्या 4 के रुख पर विचार करने के बाद, चांसलर के पास निष्कर्ष है कि प्रतिवादी नंबर 4 के खिलाफ पूरी कार्यवाहक प्रकृति में मिलीभगत है जो कुछ निहित स्वार्थों के इशारे पर की जा रही है। कुलाधिपति द्वारा आगे निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रतिवादी नंबर 4 के खिलाफ विश्वविद्यालय के पास कोई सबूत नहीं है, बल्कि प्रतिवादी नंबर 4 के खिलाफ आरोप विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों से भी झूठे हैं। कुलाधिपति ने इस तथ्य की भी सराहना की है

कि विश्वविद्यालय ने खुद कहा था कि कुछ छात्रों और अन्य तत्वों के दबाव में प्रतिवादी नंबर 4 के खिलाफ विरोध और आंदोलन के कारण; अनुशासनात्मक कार्यवाही भी शुरु की गई थी। इस अदालत को मामले संबंधी दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई कारण नहीं मिलता है। तथ्य यह है कि वर्तमान याचिका चांसलर द्वारा आदेश पारित करने की तारीख के लगभग दो साल बाद दायर की गई है, जो चांसलर के निष्कर्ष को बल देता है कि कुछ निहित स्वार्थों ने प्रतिवादी नंबर 4 के खिलाफ कार्यवाही शुरु की थी और वे भी सिर्फ प्रतिवादी नंबर 4 को वैध स्थिति से दूर रखने और उसे अधिकतम उत्पीड़न का कारण बनाने के लिए इसे जारी रखने पर तुले हुए हैं । हैरानी की बात यह है कि चार्जशीट में ही कहा गया है कि याचिकाकर्ता और उसके साथियों ने प्रतिवादी नंबर 4 के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विश्वविद्यालय पर दबाव बनाया था; जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी नंबर 4 के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरु की गई थी। इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि परोक्ष उद्देश्यों के लिए और धमकियों, विरोध और आंदोलनों के संदिग्ध साधनों के

माध्यम से प्रतिवादी नंबर 4 के खिलाफ शुरु से ही याचिकाकर्ता और उसके सहयोगियों द्वारा कार्यवाही बनाई गई थी ।

(9) यद्यपि याचिकाकर्ता के वकील ने चांसलर की शक्ति के मुद्दे को उठाया है, लेकिन यह तर्क भी टिकाऊ नहीं है। इस संबंध में प्रासंगिक प्रावधानों का संदर्भ लेना उचित होगा, जिन्हें यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"धारा 12: – निम्नलिखित विश्वविद्यालय के अधिकारी होंगे: –

(i) कुलाधिपति

(ii) कुलपति :

(iia) प्रति-कुलपति; डॉ. निशा कुमारी वी. पी. बी. डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक अपने रजिस्ट्रार और अन्य के माध्यम से (राजबीर सहरावत, जे.)

(iii) रजिस्ट्रार :

(iv) निदेशक, पं बीडी शर्मा पीजीआईएमएस

(v) विश्वविद्यालय के शैक्षिक मामलों के डीन:

(vi) डीन, पं बीडी शर्मा पीजीआईएमएस;

(vii) संकायों के डीन;

(viii) प्रधानाचार्य, स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रोहतक;

(ix) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति, जिन्हें संविधियों द्वारा घोषित किया जाए, विश्वविद्यालय के अधिकारी होंगे।

धारा 13:-

(1) हरियाणा का राज्यपाल अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा।

(2) कुलाधिपति विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा।

(3) कुलपति, यदि उपस्थित हो, तो डिग्रियां प्रदान करने और न्यायालय की बैठकों के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(4) कुलाधिपति को यह अधिकार होगा-

(i) विश्वविद्यालय, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कार्यशालाओं, उपकरणों आदि के कार्यकलापों और संपत्तियों का निरीक्षण निदेश दिए व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा कराएगा; और किसी भी संबद्ध कॉलेज या संस्थान का और विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित और किए गए परीक्षाओं, शिक्षण और अन्य कार्यों का या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी अन्य मामले के संबंध में;

(ii) विश्वविद्यालय या संस्थानों के वित्त प्रशासन से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में समान तरीके से जांच करना।

5) कुलाधिपति निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति कुलपति को अग्रेषित करेगा ताकि उस पर कार्यकारी परिषद के विचार प्राप्त किए जा सकें और ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हो सके। विचार, कुलाधिपति ऐसे निर्देश दे सकता है जो वह आवश्यक समझे और विश्वविद्यालय द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के लिए एक समय सीमा निर्धारित कर सकता है।

(6) कुलाधिपति, सरकार की सलाह पर, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार जांच करवा सकेगा, और कुलपति को, यदि वह ऐसी जांच में पाया जाता है, तो पद से हटा सकता है, ऐसा व्यक्ति जो ऐसे पद पर बने रहने के लिए स्पष्ट रूप से अयोग्य है।

(7) कुलाधिपति, प्रत्येक दशा में, विश्वविद्यालय को निरीक्षण या जाँच कराने के अपने इरादे की सूचना देगा और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, जो वह आवश्यक समझे, विश्वविद्यालय को कुलाधिपति को ऐसा अभ्यावेदन देने का अधिकार होगा ।

(8) विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, कुलाधिपति ऐसा निरीक्षण या जांच करवा सकेगा जैसा कि उपधारा (4) में निर्दिष्ट किया गया है।

(9) जहाँ कुलाधिपति द्वारा कोई निरीक्षण या जांच की गई है, वहाँ विश्वविद्यालय एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा, जिसे ऐसे निरीक्षण या चोट पर उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार होगा।

(10) कुलपति, यदि विश्वविद्यालय के संबंध में निरीक्षण या जांच की जाती है, तो ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संदर्भ में कुलपति को संबोधित कर सकेगा और कुलपति द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्यकारी परिषद को, कुलाधिपति के विचारों और उस पर की जाने वाली कार्रवाई के बारे में सूचित करेगा।

(11) कार्यकारी परिषद रजिस्ट्रार के माध्यम से, यदि कोई ऐसी कार्रवाई हो, कुलाधिपति को सूचित करेगी, जो वह ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम पर करने का प्रस्ताव करती है या की है।

(12) जहाँ कार्यकारी परिषद् उचित समय के भीतर कुलाधिपति की संतुष्टि के अनुसार कार्रवाई नहीं करती है, वहाँ कुलाधिपति किसी पर विचार करने के पश्चात्,

डॉ. निशा कुमारी वी. पी. बी. डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक अपने रजिस्ट्रार और अन्य (न्यायमूर्ति राजबीर सहरावत) के माध्यम से कार्यकारी परिषद द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन, ऐसे निर्देश जारी करें जो वह उचित समझे और कार्यकारी परिषद ऐसे निर्देशों का पालन करेगी।

(13) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, कुलाधिपति लिखित रूप से आदेश द्वारा विश्वविद्यालय की ऐसी किसी कार्यवाही को निरस्त कर सकेगा, जो इस अधिनियम, संविधियों, अध्यादेशों या विनियमों के अनुरूप नहीं है: बशर्ते कि ऐसा कोई आदेश देने से पहले, वह विश्वविद्यालय से कारण बताने के लिए कहेगा कि ऐसा आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, और यदि उचित समय के भीतर कोई कारण दिखाया जाता है, तो वह उस पर विचार करेगा।

(14) कुलाधिपति किसी भी समय, विश्वविद्यालय से इस अधिनियम के उपबंधों, संविधियों, अध्यादेशों और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अनुरूप कार्य करने की अपेक्षा कर सकेगा या निदेश दे सकेगा।

(15) उपधारा (13) और (14) के अधीन कुलाधिपति द्वारा प्रयोग की गई शक्ति को किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं कहा जाएगा।

(16) विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी, जो अपने विरुद्ध की गई किसी अनुशासनिक कार्रवाई के संबंध में कार्यकारी परिषद या कुलपति के निर्णय से व्यथित है, कुलाधिपति के स्मारक को ऐसी रीति से संबोधित कर सकेगा, जो संविधियों द्वारा निर्धारित किया जाए और कुलाधिपति का निर्णय अंतिम होगा।

(17) कुलाधिपति, सरकार की सलाह पर, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार जांच करवा सकेगा, यदि निदेशक ऐसी जांच में पाया जाता है तो, एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसे पद पर बने रहने के लिए स्पष्ट रूप से अयोग्य है, उसे पद से हटा सकता है

(18) कुलाधिपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाई गई विधियों के अधीन प्रदत्त किए जाएँ।

(10) विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 13 उपधारा (2), (13) और (14) में अंतवष्ट उपबंधों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि कुलाधिपति विश्वविद्यालय का प्रमुख है और उसके पास सभी विशेष और अन्य सुविधाएं हैं। शेष शक्तियां, जिसमें विश्वविद्यालय की किसी भी कार्यवाही को रद्द करने वाली सकारात्मक शक्ति शामिल है जो अधिनियम, संविधि या अध्यादेश या विनियमों के अनुरूप नहीं है। एकमात्र आवश्यकता यह है कि ऐसा कोई आदेश पारित करने से पहले कुलाधिपति विश्वविद्यालय को कारण बताने का अवसर प्रदान करेगा कि ऐसा आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में निर्विवाद रूप से विश्वविद्यालय को चांसलर के समक्ष अपना मामला पेश करने का अवसर दिया गया था। यहां तक कि कुलपति के समक्ष विश्वविद्यालय द्वारा रखे गए मामले पर भी कुलाधिपति द्वारा विचार किया गया है और यह देखा गया है कि प्रतिवादी नंबर 4 के खिलाफ कार्यवाही का समर्थन करने

के लिए विश्वविद्यालय द्वारा कोई ठोस सामग्री नहीं दी गई है, बल्कि विश्वविद्यालय ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि प्रतिवादी नंबर 4 के खिलाफ कार्यवाही याचिकाकर्ता और उसके सहयोगियों के दबाव और आंदोलन के कारण शुरु की गई थी।

(11) यद्यपि उपधारा (13) और (14) में यह प्रावधान है कि यदि विश्वविद्यालय की कार्रवाई अधिनियम, संविधि या विनियमों के विरुद्ध है तो कुलाधिपति हस्तक्षेप कर सकता है, तथापि, किसी कर्मचारी के विरुद्ध ऐसी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरु करना और जारी रखना, जो निर्विवाद रूप से किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा बनाई गई जबरदस्ती और दबाव के तहत शुरु की गई है, जो निर्विवाद रूप से, विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड में मौजूद तथ्यों के खिलाफ आरोपों के आधार पर और जिसे निहित स्वार्थों द्वारा निहित उद्देश्यों के साथ शुरु किया गया था; इसे कभी भी अधिनियम, संविधि या विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, याचिकाकर्ता के खिलाफ इस तरह के आरोप-पत्र को हटाने का आदेश पारित करने में चांसलर की कार्रवाई को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

(12) इसके अलावा, यद्यपि विश्वविद्यालय के दंड और अपील विनियमों के तहत प्रतिवादी संख्या 4 के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरु की गई थी, हालांकि, उक्त विनियमों के तहत भी चांसलर को पीड़ित कर्मचारी से स्मारक या प्रतिनिधित्व पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। यद्यपि कुलाधिपति को प्रदान की गई शक्ति अपील और संशोधन के चरण में है और यह शक्ति विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ है, लेकिन प्रतिवादी संख्या 4 के मामले में भी विश्वविद्यालय के क़ानून के तहत नियुक्ति प्राधिकारी है, और इस प्रकार विनियमों के तहत दंडनीय प्राधिकारी भी विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद है। नियमों में यह भी प्रावधान है कि प्रतिवादी नंबर 4 पर आरोप लगाने और उसके खिलाफ जांच करने का निर्णय केवल कार्यकारी परिषद का होना चाहिए। लेकिन प्रतिवादी नंबर 4 के खिलाफ आरोप-पत्र या कार्यवाही से ऐसा कुछ भी नहीं पता चलता है कि इसे कार्यकारी परिषद द्वारा आदेश दिया गया था या कार्यकारी परिषद द्वारा भी विचार किया गया था। हालांकि कुलपति को आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं।

डॉ. निशा कुमारी बनाम पीटी बी.डी. शर्मा, स्वास्थ्य विज्ञान विश्विद्यालय, रोहतक अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से और अन्य (न्यायमूर्ति राजबीर सहरावत) (पृष्ठ 20) **आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2023 (1)**

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 14 (9) के तहत, हालांकि, यह शक्ति उन मामलों तक विस्तारित नहीं होती है जिनमें किसी कर्मचारी की नियुक्ति या निष्कासन शामिल नहीं हो सकता है। इसके अलावा, इस प्रावधान के तहत भी, कुलपति की कार्रवाई के खिलाफ असंतुष्ट कर्मचारी को प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया गया है। किसी भी मामले में, अधिनियम की धारा 13 ने विशेष शक्तियों के अलावा, विश्वविद्यालय के अधिनियम, संविधि और विनियमन का अक्षरश अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यापक अवशिष्ट शक्तियां दी हैं। इसलिए, यदि तथ्यों और परिस्थितियों की मांग है, तो चांसलर को जांच की प्रक्रिया को छोटा करने और किसी कर्मचारी के खिलाफ आरोप-पत्र छोड़ने का आदेश देने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। यह भली-भांति तय है कि आमतौर पर आरोप-पत्र और अनुशासनात्मक कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं किया जाता, हालांकि इस सिद्धांत के लिए कई ज्ञात अपवाद हैं। परोक्ष उद्देश्यों के लिए या निहित स्वार्थ के दबाव और हेरफेर के लिए जारी किए गए आरोप-पत्र या नियोक्ता के रिकॉर्ड के खिलाफ आरोपों के आधार पर ऐसे मामले हैं जहां आरोप-पत्र को रद्द करने या हटाने का आदेश दिया जा सकता है। आखिरकार, कोई भी न्यायिक

अवधारणा यह अनिवार्य नहीं करती है कि कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही को पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए, भले ही यह प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण हो, परोक्ष उद्देश्यों के लिए दबाव में शुरु की गई हो और प्रथम दृष्टया निराधार हो। कर्मचारी को कम उत्पीड़न को रोकने के लिए इसे रोकने की आवश्यकता है। प्रस्तुत मामले में चांसलर ने केवल यही किया है।

(13) इतना ही नहीं, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (15) में विशेष रूप से यह प्रावधान है कि उप-धाराओं (13) और (14) के तहत कुलाधिपति द्वारा प्रयोग की गई शक्ति को किसी भी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं कहा जाएगा। इसलिए, यह स्पष्ट है कि एक व्यक्ति, जो चांसलर के आदेश के खिलाफ विवाद उठाने की दलील देता है, अधिकार के मामले के रूप में और इस प्रकार; जिसे सिविल कोर्ट के समक्ष उठाया जा सकता था, उसे अधिनियम के प्रावधानों द्वारा ही ऐसा करने से रोक दिया गया है। इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि याचिकाकर्ता को चांसलर द्वारा पारित आदेश पर सवाल उठाने का कोई नागरिक अधिकार नहीं है, चाहे इस तरह के आदेश की प्रकृति, गुणवत्ता या वैधता कुछ भी हो। जहां तक विश्वविद्यालय, जो एकमात्र पक्षकार है जो

कुलाधिपति के आदेश के विरुद्ध शिकायत उठा सकता था, का संबंध है, उसने कुलाधिपति द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध कोई विवाद नहीं उठाया है। विश्वविद्यालय स्वयं कुलाधिपति द्वारा पारित आदेश से संतुष्ट है, जो फिर से आरोप-पत्र में उल्लिखित तथ्य पर जोर देता है कि विश्वविद्यालय को याचिकाकर्ता और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए आंदोलन के कारण प्रतिवादी नंबर 4 के खिलाफ आरोप-पत्र जारी करने के लिए मजबूर किया गया था।

14) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका को पूरी तरह से तुच्छ, आधारहीन, उत्तेजित और बिना किसी आधार के दायर किया गया पाया जाता है। तदनुसार, वर्तमान याचिका को 15,000/- रुपये (पंद्रह हज़ार रुपये) के जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है। याचिकाकर्ता द्वारा लागत राशि को आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर गरीब रोगी कल्याण कोष, पीजीआई, चंडीगढ़ में जमा करने का आदेश दिया जाता है।

गौरव सैनी

डॉ. निशा कुमारी बनाम पीटी बी.डी. शर्मा, स्वास्थ्य विज्ञान विश्विद्यालय, रोहतक अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से और अन्य (न्यायमूर्ति राजबीर सहरावत) (पृष्ठ 23)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2023 (1)

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अंकिता महाजन

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

कैथल, हरियाणा